

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-6 उत्तर प्रदेश सरकार

कक्ष सं.-820, बापू भवन, विधान सभा मार्ग, लखनऊ (उ.प्र.) 220001, भारत

विज्ञापन संख्या-816/2023

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन निम्नलिखित पद के लिए ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित करता है:

क्रमांक	पद का नाम	बोर्ड/संस्था का नाम	रिक्तियों की संख्या
1	अध्यक्ष	उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ	01
2	सदस्य-सचिव	उ.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ	01

आवेदन भरने की अंतिम तिथि प्रकाशन की तिथि से एक माह तक।

विवरण और ऑफलाइन आवेदन पत्र वेबसाइट www.uppcb.com पर उपलब्ध है।

(मनोज सिंह)

अपर मुख्य सचिव,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

www.upgov.nic.in

Uptd- 193762 Dt. 23.08.2023

ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE SECTION-6
GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

Room No. 820, Bapu Bhawan, Vidhan Shabha Marg,

Lucknow (UP) 226001, India

ADVERTISEMENT NO.-816/2023

**Department of Environment, Forest and Climate Change, Government of
Uttar Pradesh invites off-line application for the following different posts:**

SL No.	NAME OF THE POST	NAME OF BOARD/DISCOM	NOS. OF VACANCY
1	Chairman	Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow	01
2	Member-Secretary	Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow	01

Last date for filling of application is One month from the date of publication.

*Details and off- line application form is available on Website **www.uppcb.com***

ADDITIONAL CHIEF SECRETARY
Environment, Forest and Climate Change
GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

Office of Environment, Forest and Climate Change
Section-6, UP Government

Subject:- Advertisement regarding appointment to the post of Chairman and Member Secretary, UP Pollution Control Board, Lucknow.

- 1- Applications are invited from interested and eligible candidates for appointment to the posts of Chairman and Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow.
- 2- The Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow was established under the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974. The Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow deals with the prevention and control of pollution. The Chairman and Member Secretary shall be a full time incumbent.
- 3- The following are the terms and conditions for the posts of Chairman and Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow:-

A. Chairman

1	Designation	Chairman, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow
2	Total No. of Posts	01
3	Pay Scale	(1) The Chairman shall receive pay of level 15 in the pay matrix of the 7th Pay Commission. (2) The part-time Chairman shall not be entitled to the above pay. He shall be entitled to allowances/ honorarium as may be fixed by the Government.

4	Age Limit	The maximum age limit for nomination as Chairman shall not be exceeding fifty six (56) years as on the last date for the receipt of applications.
5	Method of Recruitment	<p>(1) The Chairman may be either full-time or part- time as the State Government may think fit.</p> <p>(2) In case of part time Chairman, the Department of Environment, Forests and Climate Change, Government of Uttar Pradesh may suggest eligible candidate to the Hon'ble Chief Minister who shall nominate the part-time Chairman.</p> <p>(3) The full-time Chairman may be nominated by the Hon'ble Chief Minister on the recommendation of the search-cum-selection Committee which shall select a panel (maximum three) from the eligible candidates.</p> <p>(4) The search-cum-selection committee for the recommendation of the full-time Chairman shall consist of the following members :-</p> <p>a) Chief Secretary, Uttar Pradesh -Chairman;</p> <p>b) Additional Chief Secretary/ -Member/ Convener;</p>

		<p>Principal Secretary, Department of Environment, Forests and Climate Change, Uttar Pradesh</p> <p>c) an expert member from acclaimed national level institute/organization having experience in environmental field to be nominated by the State Government –Member.</p> <p>(5) The full-time Chairman shall be nominated for a maximum period of three years.</p> <p>(6) The functioning/working of part-time Chairman shall be reviewed by the Government on yearly basis and in case of being found satisfactory, the Government may extend the term of part-time Chairman but in no case his the overall tenure shall exceed three years.</p> <p>(7) The Chairman may be removed by the Government at any time, after giving him a reasonable opportunity of showing cause against the same.</p>
6	Terms and Conditions	<p>(1) The Chairman shall be entitled to city compensatory allowance and accommodation:</p> <p>Provided that if the Chairman has not been allotted the accommodation, he shall be entitled to get the house rent allowance as per the rules/regulations of the</p>

		<p>Government.</p> <p>(2) The Chairman shall be entitled to the travelling allowance and daily allowance in respect of journeys undertaken in connection with his official duties, at the rates permissible as per the rules/regulations of the Government.</p> <p>(3) The other conditions of service of the Chairman in the matters of allowances, leave, joining time, joining time pay shall be permissible in accordance with the rules/regulations of the Government.</p>
7	Eligibility Educational Qualification and Experience	<p>(1) No person shall be eligible for being selected for nomination as the Chairman unless,-</p> <p>(a) he possesses Master's Degree in Science relating to environment or Bachelor's Degree in Engineering in a discipline relating to Environment from a recognized University or Institute and has special knowledge and fifteen years practical experience relating to the environment protection, including industrial pollution mitigation, water treatment or air pollution control devices and has rendered twenty five years of</p>

		<p>service; or</p> <p>(b) he is an officer under the Central Government or State Government or public sector undertaking or a University autonomous body or statutory body, and-</p> <p>(i) holds an analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>(ii) has three years of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 14 of 7th Pay Commission Scale in the parent cadre or department; and</p> <p>(iii) possesses the qualifications and experience specified in clause (a); or</p> <p>(c) is or has been in All India Service holding the post in the rank of Level 15 of the 7th Pay Commission Scale on regular basis, or having 3 years of regular service in Level 14 of 7th Pay Commission Scale in the parent cadre or department and possesses a Degree in Science or Engineering and has knowledge and experience of at least three</p>
--	--	--

		<p>years in areas related to environment protection. For State Government employee further clarification can be issued by State Government.</p> <p>Explanation: (1) For the purposes of this sub-rule, a doctor's degree in environmental management from a recognized university or institute and excellent record of peer reviewed research publications and experience of organizing environment related training programmes for service personnel shall be desirable qualification but not mandatory.</p> <p>(2) An officer working under the Central Government or a State Government or a public sector undertaking or a University or an autonomous body or statutory body selected for nomination as the Chairman under clause (a) of sub-section (2) of section 4 of the Act, shall</p>
--	--	---

		<p>be considered for nomination as the Chairman on deputation basis.</p> <p>(3) For the purpose of sub-rule (2), the period of deputation including period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation under the Ministry or Department of the Central or State Government shall not ordinarily exceed three years.</p> <p>(4) The person to be nominated as Chairman shall be of outstanding merit and impeccable integrity with no possibility of conflict of interest between his earlier employment and in holding the charge of the post of Chairman.</p>
8	Term	3 years from the date of appointment

B. Member Secretary

1	Designation	Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board, Lucknow
2	Total No. of Posts	01
3	Pay Scale	Level 13A Pay in 7th Pay Commission Pay Matrix
4	Age Limit	The maximum age limit of appointment by deputation shall not be exceeding fifty six (56) years as on the closing date of the receipt of applications, provided candidate fulfills the other eligibility conditions for the post.
5	Method of Recruitment	<p>(1) The Member-Secretary may be appointed by the Hon'ble Chief Minister on the recommendations from the panel of eligible candidates selected by the search-cum-selection committee.</p> <p>(2) The search-cum-selection committee shall consist of the following members :-</p> <p>a) Chief Secretary, Uttar Pradesh - Chairman;</p> <p>b) Additional Chief Secretary/ -Member/ Convener; Principal Secretary, Department of Environment, Forests & Climate Change, Uttar Pradesh</p> <p>c) an expert member from an acclaimed National level institute/Organization having experience in environmental science field to be nominated by the State Government : - Member;</p>

		<p>Provided that if the search-cum-selection Committee so constituted under this sub-rule does not include persons each belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes, then an officer not below the rank of Principal Secretary to the Government belonging to such castes/tribes and classes as are not represented in the search-cum-selection Committee shall be nominated by the Government as additional Member.</p> <p>(3) Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or Department or the Central or State Government shall ordinarily not exceed three years.</p>
6	Terms and Conditions	<p>(1) The Member -Secretary shall be entitled to city compensatory allowance and accommodation: Provided that the Member -Secretary has not been allotted the accommodation he shall be entitled to get the house rent allowance as per the rules/regulations of the Government.</p> <p>(2) The Member-Secretary shall be entitled to the travelling allowance and</p>

		<p>daily allowance in respect of journeys undertaken in connection with his official duties, at the rates permissible as per the rules/regulations of the Government.</p> <p>(3) The other conditions of service of the Member Secretary in the matters of allowances, leave, joining time pay, provident fund, gratuity, age of superannuation, retirement benefits shall be permissible in accordance with the rules/regulations of the Government.</p>
7	Eligibility Educational Qualification and Experience	<p>Officers of the Central Government or State Government or Public Sector Undertaking or University or Government Research Institution or Autonomous or Statutory Body-</p> <p>(a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or Department; or</p> <p>(ii) With two years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the level-13 of the Pay Matrix of the 7th Pay Commission or officers with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Level-12 of the Pay Matrix of the 7th Pay Commission or</p>

		<p>equivalent in the parent cadre or Department; and</p> <p>(b) Possessing the following qualification and experience :-</p> <p>(i) Master's Degree in Science relating to environment or Bachelor's Degree in Engineering in a discipline relating to Environment from a recognized University or Institute and has special knowledge and fifteen years practical experience relating to the environment protection, including industrial pollution mitigation, water treatment or air pollution control devices and has rendered twenty five years of service; or</p> <p>(ii) Twelve (12) years experience in the regular Group-'A' posts, not below the rank and pay scale of level-11 of the Pay Matrix of the 7th Pay Commission in Government Department or Institution or Central Public Sector Undertaking or University or Government Research Institution or</p>
--	--	---

		<p>Autonomous or Statutory body at the administrative or managerial level with practical experience in matters relating to scientific, engineering or management aspects of any of the fields related to environmental management and pollution control.</p> <p>Explanation: Ph.D. in Science relating to Environment or M.Tech. in Engineering in a discipline related to Environment from a recognized Institute or University or Equivalent shall be desirable but not mandatory</p>
8	Term	3 years from the date of appointment

4- Application on the prescribed format in full in 5 copies, interested candidates should be sent to the following address along with self attested photocopies of documents by **One month from the date of publication.**

**"Office of the ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE SECTION-6
GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH of U.P. Office Room No.-820, Bapu
Bhawan Secretariat, 8th Floor, Lucknow, Pin Code-226001"**

5- **Note:-** Officers working in the Central or State Government or Public Undertaking or recognized University or Government Research Institute or Autonomous or Statutory Body, with their application form, updated annual confidential entry, integrity certificate and vigilance clearance and other records etc. will do. The above officers will get the application form forwarded after

completing all the formalities through their parent ministry/department/organization/institution.

6- Any incomplete application or without required documents and those received after the due date will not be considered and will be summarily rejected.

7- Separate application will be made for the post of Chairman or Member Secretary.

PRESS NOTE- ORIGINAL ADVERTISEMENT NO - 816/2023,
DATED 24-08-2023 Newspapers to National level/International level
Newspaper such as The Pioneer, Amar Ujala, Hindustan, The Times of
India, Vishwa Varta etc.

Manoj Singh
Additional Chief Secretary.

**Application format for the post of Chairman/Member Secretary, UP
Pollution Control Board Name of the post applied for-_____**

1-Full Name:

Updated photo
to be pasted.

2-Date of Birth: (Day/Month/Year):.....

3-Age (as on closing date of application): (days/months/years):.....

4-Nationality:.....

5-Language knowledge:.....

6-Address for correspondence: (including email address).....

7-Permanent Address:.....

8-Local Address:.....

9-Telephone/Fax/Mobile No. (with STD Code): (Tempan/Cell).....

.....

10-Whether belongs to SC/ST/OBC :

11-Educational Qualification:

No	Name of the University/ Board/ Institution	Degree/ Equivalent exam	Division: Specification of Points	Year of passing	Subjects (including the subject of PhD)
1					
2					
3					

12-Employment records (for the last 10 years in chronological order starting from the present):

No.	Name and address of the employer	Pay Level of Designation, Regular/Deputation	Term service of		Nature of Work
			Since when	Till when	
1					
2					
3					

13- Administrative experience certificate in the institute related to environmental protection and pollution control (as per the post):

14-Area of Special Interest:.....

15-Publication in journals of national/international repute, if any, with citation and index:

16-Awards/honours, if any:.....

17-Any other relevant information:.....

Announcement

I certify that the above facts are true and complete and nothing has been concealed to the best of my knowledge and belief. If at any time, it is found that I have suppressed/distorted any information, my appointment is liable to be terminated without assigning any reason/notice.

(Signature of the candidate)

Date:

Location:

To be forwarded by the Head of the Organization/Institution (in respect of candidates working under Government/ Autonomous/ Statutory/ Public Sector Undertaking, University etc.)

Ministries/Departments/Offices.....

Mr/Smt:..... The service records submitted by
are being verified with reference to their accuracy.

Certified

It is certified that no vigilance case is pending or contemplated against the above officer. CR for the last 10 years in respect of the above officer. Dossier and Integrity Certificate is enclosed.

**(Signature & Designation Head of the Department/
Forwarding Officer with seal)**

Date:.....

Address:.....

Location:.....

Enclosure:

1-

2-

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन अनुभाग-6

उत्तर प्रदेश सरकार

कक्ष सं०-820, बापू भवन, विधान सभा मार्ग,

लखनऊ (उ०प्र०) 226001, भारत

विज्ञापन संख्या- 816/2023

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश, शासन
निम्नलिखित विभिन्न पदों के लिए ऑफलाइन आवेदन आमंत्रित करता है:

क्रमांक	पद का नाम	बोर्ड/संस्था का नाम	रिक्तियों की संख्या
1	अध्यक्ष	उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ	01
2	सदस्य सचिव	उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ	01

आवेदन भरने की अंतिम तिथि प्रकाशन की तिथि से एक माह तक।
विवरण और ऑफलाइन आवेदन पत्र वेबसाइट www.uppcb.com पर
उपलब्ध है।

अपर मुख्य सचिव
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन,

अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन

विषय:—अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पद पर नियुक्ति के संबंध में विज्ञापन।

- 1— उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के अध्यक्ष और सदस्य सचिव के पदों पर नियुक्ति के लिए इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
- 2— उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ की स्थापना जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के प्रावधानों के तहत की गई थी। उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण से संबंधित कार्य करता है। अध्यक्ष और सदस्य सचिव एक पूर्णकालिक पदधारी होगा।
- 3— अध्यक्ष और सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पदों के लिए निम्नलिखित नियम और शर्तें हैं :—

क. अध्यक्ष

1	पदनाम	अध्यक्ष, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ
2	कुल पदों की संख्या	01
3	वेतनमान	सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में लेवल 15 का वेतन
4	आयु सीमा	अध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशन के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने के अन्तिम दिनांक को छप्पन वर्ष (56) से अधिक नहीं होगी।
5	भर्ती की विधि	(1) पूर्णकालिक अध्यक्ष का नामनिर्देशन, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तलाश-सह-चयन समिति, जो पात्र अभ्यर्थियों में से एक पैनल (अधिकतम तीन) का चयन करेगी, की संस्तुति पर किया जायेगा। (2) पूर्णकालिक अध्यक्ष की संस्तुति हेतु तलाश-सह-चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे:— (क) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश —अध्यक्ष (ख) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव —सदस्य/ संयोजक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश

		<p>(ग) राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान/संगठन से पर्यावरण के क्षेत्र में अनुभव रखने वाला एक विशेषज्ञ, सदस्य, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा –सदस्य</p> <p>(3) पूर्णकालिक अध्यक्ष, अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिये नामनिर्दिष्ट किया जायेगा।</p> <p>(4) अध्यक्ष को सरकार द्वारा किसी समय उसके विरुद्ध कारण बताने हेतु युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् हटाया जा सकता है।</p>
6	निबंधन और शर्तें	<p>(5) अध्यक्ष, नगर प्रतिकर भत्ता एवं वास सुविधा का हकदार होगा। परन्तु यह कि यदि अध्यक्ष को वास सुविधा आवंटित न किया गया हो तो वह सरकार के नियमों/विनियमों के अनुसार मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।</p> <p>(6) अध्यक्ष अपने शासकीय कर्तव्यों के संबंध में की गई यात्राओं के निमित्त सरकार के नियमों/विनियमों के अनुसार अनुज्ञेय दरों पर यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता का हकदार होगा।</p> <p>(7) भत्तों, अवकाश, कार्यभार ग्रहण अवधि, कार्यभार ग्रहण अवधि वेतन के मामले में अध्यक्ष की अन्य सेवा शर्तें, सरकार के नियमों/विनियमों के अनुसार अनुज्ञेय होंगी।</p>
7	पात्रता, शिक्षात्मक योग्यता और अनुभव, आदि	<p>(8) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशन हेतु चयनित किये जाने के लिए पात्र नहीं होगा, जब तक कि –</p> <p>(क) वह किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पर्यावरण पाठ्यक्रम से संबंधित विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा पर्यावरण पाठ्यक्रम से संबंधित अभियांत्रिकी शाखा में स्नातक उपाधि धारित नहीं कर लेता है और औद्योगिक प्रदूषण के शमन सहित पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विशेष ज्ञान एवं पन्द्रह वर्ष का व्यवहारिक अनुभव अथवा जल शुद्धिकरण या वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र के क्षेत्र में पच्चीस वर्ष की सेवा प्रदान न की हो; अथवा</p> <p>(ख) वह केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अथवा विश्वविद्यालय या स्व ग्रासी निकाय या सांविधिक निकाय का कोई अधिकारी न हो, और—</p> <p>(एक) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर कोई सदृश पद धारित नहीं कर लेता है; या</p> <p>(दो) मूल संवर्ग या विभाग में सातवें वेतन आयोग स्केल</p>

		<p>के लेवल 14 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड पे में तीन साल की नियमित सेवा प्रदान न की हो; तथा</p> <p>(तीन) खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट अर्हता और अनुभव धारित नहीं कर लेता है; या</p> <p>(ग) अखिल भारतीय सेवा में नियमित आधार पर 7वें वेतन आयोग स्केल के लेवल 15 स्तर का पद धारित नहीं करता है; या धारित नहीं कर लिया है, या मूल संवर्ग या विभाग में सातवें वेतन आयोग स्केल के लेवल 14 में नियमित रूप से तीन वर्ष की सेवा; और विज्ञान या अभियांत्रिकी में उपाधि धारित नहीं कर लेता है और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित क्षेत्रों में कम से कम तीन वर्ष का ज्ञान और अनुभव न हो। राज्य सरकार के कर्मचारी हेतु अग्रेत्तर विशुद्धिकरण राज्य सरकार द्वारा जारी किया जा सकेगा।</p> <p>स्पष्टीकरण :</p> <p>(1) इस उपनियम के प्रयोजनों के लिए किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पर्यावरण प्रबन्धन में डॉक्टर की उपाधि और समान पद के लिए समीक्षा किये गये शोध प्रकाशनों का उत्कृष्ट रिकार्ड और सेवा कर्मिकों के लिए पर्यावरण संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का अनुभव, वांछनीय योग्यता होगी किन्तु अनिवार्य नहीं होगी।</p> <p>(2) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा 2 के खण्ड (क) के अधीन अध्यक्ष के रूप में नामनिर्देशन हेतु केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या स्वशासी निकाय या सांविधिक निकाय में चयनित कार्यरत अधिकारी को प्रतिनियुक्ति के आधार पर अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाने पर विचार किया जा सकता है।</p> <p>(3) उपनियम-2 के प्रयोजन के लिए, केन्द्र या राज्य सरकार के मंत्रालय या विभाग के अधीन उसी या किसी अन्य संगठन में इस नियुक्ति से ठीक पूर्ववर्ती धारित किसी अन्य संवर्ग वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि को सम्मिलित करते हुये, प्रतिनियुक्ति की अवधि, सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>(4) अध्यक्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किये जाने वाला व्यक्ति उत्कृष्ट योग्यता और त्रुटिहीन सत्यनिष्ठा का होगा, जिसमें उसके पहले के नियोजन और अध्यक्ष पद का प्रभार धारित करने के मध्य हितों के विरोध की कोई सम्भावना नहीं होगी।</p>
8	कार्यकाल	नियुक्ति की तिथि से 3 वर्ष

ख. सदस्य-सचिव

1	पदनाम	सदस्य-सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ
2	कुल पदों की संख्या	01
3	वेतनमान	सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स में लेवल 13क का वेतन
4	आयु सीमा	प्रतिनियुक्ति के माध्यम से नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा, आवेदन प्राप्त होने के अन्तिम दिनांक को छप्पन वर्ष (56) से अधिक नहीं होगी, परन्तु अभ्यर्थी उक्त पद हेतु अन्य पात्रता शर्तों को पूरा करता हो।
5	भर्ती की विधि	<p>9- (1) सदस्य-सचिव की नियुक्ति माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा तलाश-सह-चयन समिति के माध्यम से चयनित पात्र अभ्यर्थियों के पैनल से संस्तुतियों के आधार पर की जा सकती है।</p> <p>(2) तलाश-सह-चयन समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-</p> <p>(क) मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश — अध्यक्ष</p> <p>(ख) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव – सदस्य/संयोजक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तर प्रदेश</p> <p>(ग) राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थान/संगठन से पर्यावरण के क्षेत्र में अनुभव रखने वाला एक विशेषज्ञ, सदस्य, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जायेगा —सदस्य</p>
6	निबंधन और शर्तें	<p>10- (1) सदस्य-सचिव नगर प्रतिकर भत्ता तथा वास-सुविधा का हकदार होगा :</p> <p>परन्तु यह कि सदस्य-सचिव को वास सुविधा आवंटित नहीं होता है तो वह सरकार के नियमों/विनियमों के अनुसार मकान किराया भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।</p> <p>(2) सदस्य-सचिव, सरकार के नियमों/विनियमों के अनुसार अनुज्ञेय दरों पर शासकीय कर्तव्यों के संबंध में की गयी यात्राओं के निमित्त यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता का हकदार होगा।</p> <p>(3) भत्तों, अवकाश, कार्यभार ग्रहण अवधि वेतन, भविष्य निधि, उपदान, अधिवर्षता-आयु और सेवा नैवृत्तिक प्रसुविधाओं के मामले में सदस्य-सचिव की अन्य सेवा शर्तें, सरकार के नियमों/विनियमों के अनुसार अनुज्ञेय होंगी।</p>
7	पात्रता, शिक्षात्मक योग्यता	11- केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र

	और अनुभव, आदि	<p>के उपक्रम या विश्वविद्यालय या सरकारी अनुसंधान संस्थान या स्वशासी या सांविधिक निकाय का अधिकारी—</p> <p>(क) (एक) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारित करता हो; या</p> <p>(दो) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के लेवल 13 में ग्रेड पे में या उसके समकक्ष दो साल की सेवा की हो या सातवें वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के लेवल 12 में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड पे में या उसके समकक्ष आठ साल की सेवा की हो; तथा</p> <p>(ख) निम्नलिखित अर्हताएँ और अनुभव धारित करता हो :—</p> <p>(एक) वह किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पर्यावरण पाठ्यक्रम से संबंधित विज्ञान में स्नातकोत्तर उपाधि या पर्यावरण पाठ्यक्रम से संबंधित अभियांत्रिकी शाखा में स्नातक उपाधि हो और औद्योगिक प्रदूषण शमन सहित पर्यावरण संरक्षण से संबंधित विशेष ज्ञान और पन्द्रह वर्ष का व्यावहारिक अनुभव हो अथवा जल शुद्धीकरण या वायु प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र के सम्बन्ध में पच्चीस वर्ष की सेवा प्रदान की हो</p> <p>अथवा</p> <p>(दो) पर्यावरण सम्बन्धी प्रबन्धन और प्रदूषण नियंत्रण से सम्बन्धित किसी भी क्षेत्र के वैज्ञानिक, अभियांत्रिकी या प्रबन्धन पहलुओं से सम्बन्धित मामलों में व्यवहारिक अनुभव के साथ प्रशासनिक या प्रबन्धकीय स्तर पर सरकारी विभाग या संस्था या केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या विश्वविद्यालय या सरकारी अनुसंधान संस्था या स्वशासी या सांविधिक निकाय में नियमित रूप में समूह 'क' के पदों से अनिम्न श्रेणी और सातवें वेतन आयोग के पे-मैट्रिक्स लेवल 11 के वेतनमान में बारह (12) वर्ष का अनुभव हो।</p> <p>स्पष्टीकरण—किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से पर्यावरण पाठ्यक्रम से सम्बन्धित विज्ञान में पीएच.डी. या पर्यावरण पाठ्यक्रम से संबंधित शाखा में एम.टेक, अभियांत्रिकी या समकक्ष वांछनीय होगा किन्तु अनिवार्य नहीं होगा।</p>
8	कार्यकाल	नियुक्ति की तिथि से 3 वर्ष

4— आवेदन निर्धारित प्रारूप पर 5 प्रतियों में पूर्ण रूप से भरकर इच्छुक अभ्यर्थी निम्नलिखित पते पर दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी के साथ विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से एक माह में प्रेषित किया जाय :-

**“कार्यालय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन कार्यालय
कक्ष संख्या-820, बापू भवन सचिवालय, आठवां तल, लखनऊ, पिन
कोड-226001”**

5-नोट:- केन्द्र या राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम में या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या सरकारी अनुसंधान संस्थान या स्वायत्त या सांविधिक निकाय में कार्यरत अधिकारी अपना आवेदन पत्र, अद्यतन वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि, सत्यनिष्ठा प्रमाण पत्र एवं सर्तकता अनापत्ति व अन्य अभिलेख इत्यादि के साथ आवेदन करेंगे। उपरोक्त अधिकारी अपने पैतृक मंत्रालय/विभाग/संगठन/संस्था के माध्यम से समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कराते हुये आवेदन पत्र अग्रसारित करायेंगे।

6— कोई अधूरा आवेदन या आवश्यक दस्तावेजों के बिना और जो निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होते हैं, उन पर विचार नहीं किया जाएगा और इसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

7— अध्यक्ष अथवा सदस्य सचिव पद हेतु अलग-अलग आवेदन किया जायेगा।

प्रेस नोट— मूल विज्ञापन संख्या-.....दिनांकजो दिनांक.....
.....कोसमाचार पत्र राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर.....
.....

मनोज सिंह
अपर मुख्य सचिव।

अध्यक्ष/सदस्य सचिव, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पद के लिए आवेदन
प्रारूप आवेदित पद का नाम—

1—पूरा नाम :

अद्यतन फोटो
चस्पा किया जाए।

2—जन्म तिथि : (दिन / माह / वर्ष):.....

3—आयु (आवेदन की अंतिम तिथि के अनुसार):(दिन / माह / वर्ष):.....

4—राष्ट्रीयता:.....

5—भाषाओं का ज्ञान:.....

6—पत्राचार के लिए पता:(ईमेल पता सहित).....

7—स्थायी पता:.....

8—स्थानीय पता:.....

9—टेलीफोन / फ़ैक्स / मोबाइल नं० (एसटीडी कोड के साथ):(Off. / Resi. / सेल).....

.....

10—क्या एससी / एसटी / ओबीसी से संबंधित है:.....

11—शैक्षिक योग्यता :

क्र०	विश्वविद्यालय / बोर्ड / संस्थान का नाम	डिग्री / समकक्ष परीक्षा	डिवीजन अंकों विशिष्टता	% की	उत्तीर्ण वर्ष	का	विषय (पीएचडी के विषय सहित)
1							
2							
3							

12—रोजगार रिकॉर्ड (वर्तमान से शुरू होने वाले कालानुक्रमिक क्रम में विगत 10 वर्षों का) :

क्र०	सेवायोजक का नाम व पता	पदनाम का वेतन लेवल, नियमित/प्रतिनियुक्ति	सेवा की अवधि		कार्य की प्रकृति
			कब से	कब तक	
1					
2					
3					

13— पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित संस्थान में प्रशासनिक अनुभव प्रमाण पत्र (पद के अनुसार) :

14—विशेष रुचि का क्षेत्र:.....

15—राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय ख्याति की पत्रिकाओं में प्रकाशन, यदि कोई हो, के साथ उद्धरण और सूचकांक:.....

16—पुरस्कार/सम्मान, यदि कोई हो:.....

17—कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी:.....

घोषणा

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि उपरोक्त तथ्य सही और पूर्ण हैं एवं मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार कुछ भी छुपाया नहीं गया है। यदि किसी भी समय, यह पाया जाता है कि मैंने किसी जानकारी को छुपाया/विकृत किया है, तो मेरी नियुक्ति बिना कोई कारण/नोटिस दिये समाप्त की जा सकती है।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

दिनांक:

स्थान:

संगठन/संस्था के प्रमुख द्वारा अग्रेषित किया जाना (सरकारी/स्वायत्त/सांविधिक/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, विश्वविद्यालय आदि के तहत काम कर रहे उम्मीदवारों के संबंध में)

मंत्रालय/विभाग/कार्यालय.....

श्री/श्रीमती:.....द्वारा प्रस्तुत सेवा रिकार्ड और उनकी शुद्धता के संदर्भ में सत्यापित किया जा रहा है।

प्रमाणित

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई भी सर्तकता मामला न तो लंबित है और न ही विचाराधीन है।

उपरोक्त अधिकारी के संबंध में विगत 10 वर्ष का सी.आर. डोजियर और सत्यनिष्ठा प्रमाणपत्र संलग्न है।

(हस्ताक्षर और पदनाम विभागाध्यक्ष/अग्रेषण अधिकारी मुहर सहित)

दिनांक:.....

पता:.....

स्थान:.....

संलग्नक:

1—

2—